

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 15 () 2015 / कार्मिक-स्ट्रेन्थ / प्रमुवस / 62-98

दिनांक 6-01-2016

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

टी.आर.आर.ई. राजस्थान जयपुर।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मु.ब.जी.प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर / प्र.शि.अनुसंधान जयपुर / वन वर्धन जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर / विभागीय कार्य जयपुर / जयपुर / बाध परियोजना सरिस्का।

उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) / उदयपुर / डूंगरपुर / बांसवाडा / राजसमंद / जयपुर / झुंझुन / हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर / चुरू / जालोर / जैसलमेर / बाडमेर / स्टेज-II जैसलमेर / वन्यजीव जैसलमेर / वन्यजीव उदयपुर / वन्य जीव कोटा / वन्य जीव चिडियाघर जयपुर / उप क्षेत्रीय निदेशक बाध परियोजना सरिस्का / प्रशिक्षण अलवर / विभागीय कार्यमंडल जयपुर / वि.का.मं.बीकानेर / वि.का.मं. स्टेज- II बीकानेर।

प्रभारी कार्मिक राजपत्रित अनुभाग / अराजपत्रिक अनुभाग / गोपनीय अनुभाग कार्यालय हाजा।

विषय:- राजस्थान विधानसभा की पिछडे वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति 2014-2015 का बिन्दुवार प्रत्युत्तर भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4360-85 दिनांक 11.05.2015, 5825-46

दिनांक 18.6.2015, 7030-55 दिनांक 15.07.2015 एवं 8576-607,

8608-36 दिनांक 10.08.2015

महोदय,

उपरोक्त राजस्थान विधानसभा की पिछडे वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति 2014-2015 की वांछित सूचना आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 25.6.2015 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज.जयपुर में बैठक के दौरान अपूर्ण रूप से प्राप्त होने पर इस कार्यालय के संदर्भित पत्रांक 7030-55 दिनांक 15.07.2015 द्वारा राजस्थान विधान सभा की पिछडे वर्ग की कल्याण सम्बन्धी समिति 2014-2015 के प्रश्नावली के अनुसार बिन्दुवार सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त प्रकरण में अधिकांश कार्यालयों द्वारा वर्ष 2014-15 की (1वर्ष) सूचना ही प्रेषित की गई है, जबकि उक्त प्रश्नावली के बिन्दु संख्या एक में स्पष्ट रूप से पदवार सृजित तथा आरक्षित पदों की गत पाँच वर्षों की स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश है।

अतः उक्त प्रश्नावली का बिन्दु संख्या 1 का पुनः अवलोकन कर विगत पाँच वर्षों यथावर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की सूचना अंकित करें तथा बिन्दु संख्या 2 से 5 का भी प्रत्युत्तर प्रेषित करें।

अतः कृपया वांछित सूचना दो दिवस में फैंक्स 0141-2713758 एवं ई-मेल dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in पर दिनांक 07.01.2016 तक इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि समिति सलग्न प्रश्नावली के आधार पर विभाग का साक्ष्य भी लेगी।

अतः कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

भवदीय

Shikha
(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर